



पी.डी.पी.एम.  
PDP  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर  
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing Jabalpur

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्टखमरिया :, जबलपुर – 482005, मध्य प्रदेश, भारत  
दूरभाष+ :91-761-2794123, +91-761-2794025 फ़ैक्स+ :91-761-2794094  
ई:मेल- registrar@iiitdmj.ac.in

**EoI No.: IIITDMJ/DSA/EoI/2026/03/1070**

**Date: 16/03/2026**

नाई की दुकान चलाने हेतु वशिष्ठ छात्रावास (1-हाल)IIITDM जबलपुर

**रुचि की अभिव्यक्ति(EoI)**

संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की तिथि	18-03-2026
EoI जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	08-04-2026 (सायं 05:00 बजे तक)
साक्षात्कार की तिथि एवं समय	13-04-2026 (प्रस्तावित, प्रातः 11:00 बजे)

संस्थान की वेबसाइट :<https://www.iiitdmj.ac.in>

**(किसी भी संशय की स्थिति में इस EoI का अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।)**

**यह दस्तावेज कुल 14 पृष्ठों का है।**

पीभारतीय सूचना प्रौद्योगिकी .एम.पी.डी.,

अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

दिनांक : \_\_\_\_\_

### रुचि की अभिव्यक्ति

संस्थान परिसर में 12 महीनों के लिए नाई की दुकान चलाने हेतु, मुहरबंद 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (EOI) आमंत्रित की जाती है। कार्य का दायरा (Annexure-1) में दिया गया है, नियम और शर्तें (Annexure-2) में दी गई हैं, आवेदन पत्र (Annexure-3) में दिया गया है, वचनपत्र (Annexure-4) में दिया गया है, चेक-लिस्ट (Annexure-5) में दी गई है और नाई की दुकान के लिए दर-सूची (Annexure-6) में दी गई है। आवेदन पत्र 08-04-2026 को या उससे पहले, शाम 5:00 बजे तक, 'डिस्पैच सेक्शन' में रखे 'कोटेशन बॉक्स' में जमा किए जाने हैं।

इच्छुक फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे 13-04-2026 को सुबह 11:00 बजे से, संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों; साथ ही, अपने दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी अपने साथ लाएं।

कुलसचिव

पीभारतीय सचनल प्रौद्योगिकी .एम.पी.डी.,

अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

**1. कार्य का दायरा**

1.1. चुनी गई फर्म को PDPM-IIITDM जबलपुर के छात्रों, फैकल्टी और आगंतुकों के लिए नाई की दुकान (Barber shop) चलाने की अनुमति होगी।

1.2. आवंटन की अवधि 01 वर्ष होगी, जिसे संतोषजनक सेवाओं के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

1.3. नाई की दुकान पूरे सप्ताह सुबह 8:00 बजे से रात 08:00 बजे तक खुली रहेगी, सिवाय किसी एक दिन के जिसे फर्म अपनी सुविधानुसार चुन सकती है। यदि किसी विशेष दिन दुकान खोलने में असमर्थता हो, तो चुनी गई फर्म को इसके लिए नाई की दुकान समिति से पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर, एक चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद, जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे प्रत्येक मामले के लिए जुर्माना 500/- रुपये होगा।

1.4. चुनी गई फर्म को संस्थान द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के अगले सात दिनों के भीतर नाई की दुकान चलाना शुरू करना होगा। यदि चुनी गई फर्म बिना किसी सूचना के निर्धारित समय के भीतर नाई की दुकान शुरू करने में विफल रहती है, तो प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।

1.5. चुनी गई फर्म केवल उन्हीं सेवाओं को प्रदान करेगी जो दर सूची (Annexure-6) में उल्लिखित हैं; और सूची में किसी भी नई सेवा को जोड़ने के लिए, DSA कार्यालय से अलग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

1.6. चुनी गई फर्म को विभिन्न सेवाओं (जैसे बाल कटवाना, मालिश, शेविंग आदि) की अनुमोदित दर सूची, नाई की दुकान के बाहर किसी उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।

1.7. नाई की दुकान में दी जाने वाली सेवाओं की दरें, सूची में उल्लिखित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## 2. नियम और शर्तें

चूंकि PDPM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर (जिसे इसके बाद 'संस्थान' या 'लाइसेंसदाता' के रूप में जाना जाएगा) ने, नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन, लाइसेंसधारी को लाइसेंस देने पर सहमति व्यक्त की है। लाइसेंसधारी (जिसे इसके बाद 'चयनित फर्म' के रूप में जाना जाएगा) नाई की दुकान (Barber shop) चलाने के लिए 2,000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) का मासिक लाइसेंस शुल्क अदा करेगा।

2.1 अनुबंध की अवधि 12 महीने होगी, जिसमें से पहले 03 महीने परीक्षा (प्रोबेशन) पर होंगे; इन 03 महीनों के संतोषजनक पाए जाने पर, अनुबंध शेष अवधि के लिए स्वतः ही विस्तारित हो जाएगा। किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम 30 दिन का नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा केवल 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा।

2.2 चयनित फर्म को आवेदन पत्र में अपना पूर्ण स्थायी पता तथा वर्तमान पता, दोनों ही देने होंगे।

2.3 चयनित फर्म को संस्थान के साथ एक अनुबंध (Agreement) करना आवश्यक होगा। अनुबंध की शर्तें, चयनित फर्म के लाइसेंस की शर्तें, तथा चयनित फर्म का स्वीकृति पत्र—ये सभी हस्ताक्षरित किए जाने वाले अनुबंध का एक अभिन्न अंग होंगे। इस अनुबंध के लिए आवश्यक स्टाम्प पेपर का खर्च चयनित फर्म द्वारा ही वहन किया जाएगा।

2.4 जिस चयनित फर्म का आवेदन/अभ्यर्थित्व स्वीकार कर लिया जाता है, उसे अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और प्रस्ताव की तिथि से 07 दिनों के भीतर नाई की दुकान का संचालन प्रारंभ करना होगा। यदि चयनित फर्म द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में किसी भी प्रकार की टालमटोल, इनकार अथवा विलंब किया जाता है, तो उसके आवेदन की स्वीकृति वापस ली जा सकती है; इस संबंध में 'नाई की दुकान समिति' (Barber shop committee) का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

## 2A. सामान्य नियम और शर्तें

2A.1 चुनी गई फर्म को DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा तय की गई कीमतों के अनुसार, सभी दिनों में सभी सेवाएं प्रदान करनी होंगी। DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण समय-समय पर मूल्य सूची की समीक्षा करेगा; पहली समीक्षा एक महीने बाद और उसके बाद हर तीन महीने में की जाएगी।

2A.2 सभी सेवाओं, सामग्रियों और उपकरणों की जांच के लिए, DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय नाई की दुकान (Barber shop) का दौरा और निरीक्षण किया जा सकता है।

2A.3 संस्थान उधार बिक्री/हानि या चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

2A.4 चुनी गई फर्म नाई की दुकान के अंदर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए अपने खर्च पर बाध्य होगी। इस उद्देश्य के लिए संस्थान का कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

2A.5 चुनी गई फर्म नाई की दुकान चलाने के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, आवश्यक शुल्क और लागू कर सीधे संबंधित प्राधिकरणों को भुगतान करेगी, और प्रमाण के तौर पर इसका विवरण रजिस्ट्रार को जमा करेगी।

2A.6 चुनी गई फर्म और संस्थान के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।

2A.7 सभी कानूनी विवाद जबलपुर के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

2A.8 नाई की दुकान चलाने के लिए चुनी गई फर्म के पास पर्याप्त उपकरण होने चाहिए।

2A.9 नाई की दुकान चलाते समय चुनी गई फर्म को सभी सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए, और वह समय-समय पर अद्यतन/पुनर्भरण (updated/replenished) किया हुआ एक 'फर्स्ट एड बॉक्स' (प्राथमिक उपचार पेटी) रखेगी। चुनी गई फर्म अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगी।

2A.10 चुनी गई फर्म द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आयु, चरित्र और पूर्ववृत्त (antecedents) का सत्यापन करवाना चुनी गई फर्म की ही जिम्मेदारी है।

2A.11 चुनी गई फर्म नाई की दुकान में ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगी जो किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित हो, और वह समय-समय पर उनके व्यक्तिगत स्वच्छता को सुनिश्चित करेगी।

2A.12 चुनी गई फर्म परिसर के किसी भी हिस्से या पूरे परिसर को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी अन्य एजेंसी को उप-पट्टे (sublet) पर नहीं देगी।

2A.13 चुनी गई फर्म यहाँ निर्धारित उद्देश्य के अलावा अन्य गतिविधियों को करने में स्वयं को शामिल नहीं करेगी।

2A.14 चुनी गई फर्म, संस्थान को किसी भी प्रकार के नुकसान के दावों से सुरक्षित रखेगी; ये दावे फर्म के किसी भी कर्मचारी को होने वाले नुकसान के संबंध में हो सकते हैं।

2A.15 चुनी गई फर्म अपने कर्मचारियों को, अपने स्वयं के खर्च पर, एक महीने के भीतर पहचान पत्र और वर्दी उपलब्ध कराएगी।

2A.16 अनुबंध की अवधि समाप्त होने या नाई की दुकान चलाने के लाइसेंस के रद्द होने के बाद, चुनी गई फर्म को अपना कारोबार समेटना होगा और नाई की दुकान खाली करनी होगी। यदि वह नाई की दुकान खाली करने में विफल रहता है, तो संस्थान को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह चुनी गई फर्म के जोखिम और खर्च पर उसका सामान हटा दे।

2A.17 चुनी गई फर्म को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार, ऊपर दी गई शर्तों और नियमों का पालन करना होगा।

2A.18 चुनी गई फर्म के प्रदर्शन का मूल्यांकन और निगरानी DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकारी द्वारा लगातार की जाएगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संस्थान को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान, बिना कोई कारण बताए, अनुबंध को समाप्त कर दे।

2A.19 नाई की दुकान को चलाने और उसके खुलने/बंद होने का समय DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

2A.20 चुनी गई फर्म को अपने कर्मचारियों का सत्यापन सिविल पुलिस से करवाना होगा। संस्थान के अंदर किसी भी ऐसे कर्मचारी/आगंतुक को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिसके पास संस्थान द्वारा जारी किया गया सुरक्षा पास न हो।

2A.21 चुनी गई फर्म द्वारा कीट/चूहा नियंत्रण (Pest/rodent control) नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

2A.22 संस्थान परिसर के किसी भी हिस्से में, जिसमें नाई की दुकान चलाने के लिए दी गई जगह भी शामिल है, चुनी गई फर्म का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा।

2A.23 चुनी गई फर्म परिसर को किसी और को किराए पर नहीं दे सकती (sublet), न ही उसमें कोई संशोधन या फेरबदल कर सकती है। संस्थान को अपने पूर्ण विवेक से निर्धारित स्थान में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार होगा। चुनी गई फर्म संस्थान प्राधिकारी की अनुमति के बिना परिसर का नवीनीकरण या आंतरिक साज-सज्जा में कोई बदलाव नहीं कर सकती। यदि अनुमति मिल जाती है, तो इससे होने वाला खर्च चुनी गई फर्म को ही वहन करना होगा।

2A.24 बेची जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की सूची को DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना होगा। नाई की दुकान में कोई भी अतिरिक्त सेवा बेचने के लिए DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

2A.25 चुनी गई फर्म, DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकारी की अनुमति से, नाई की दुकान के बाहर एक विज्ञापन (जो उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित हो) प्रकाशित कर सकती है।

2A. 26 भुगतान का तरीका केवल प्रोप्राइटर के नाम या दुकान के नाम पर होगा, और बिल/UPI आदि भी ऊपर बताए गए नामों पर ही होने चाहिए।

## 2B. जुर्माना खंड

2B.1 चुनी गई फर्म किसी भी आइटम/सेवा के लिए समझौते में तय की गई कीमत से ज्यादा कीमत नहीं ले सकती। अगर ऐसा पाया जाता है, तो चुनी गई फर्म पर 1000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर चुनी गई फर्म तय की गई सूची की सभी सेवाएँ नहीं दे रही है, तो इसे सेवा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसी हर घटना के लिए चुनी गई फर्म पर 500/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

2B.2 अगर चुनी गई फर्म तय तारीख तक (जैसा कि DSA कार्यालय/संस्थान के अधिकारियों ने तय किया है) लाइसेंस शुल्क देने में नाकाम रहती है, तो हर महीने 100/- रुपये या लाइसेंस शुल्क का 10% (जो भी ज्यादा हो) का जुर्माना लगाया जाएगा।

2B.3 चुनी गई फर्म नाई की दुकान पर काम करने के लिए किसी भी नाबालिग बच्चे को नहीं रखेगी और उसे श्रम कानून और न्यूनतम वेतन नियमों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर, संस्थान कानूनी कार्रवाई करेगा।

2B.4 नाई की दुकान से निकलने वाले कचरे का निपटान करने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। ऐसा न करने पर, एक चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद, जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना 1000/- रुपये से लेकर 2000/- रुपये तक हो सकता है, जो स्थिति की गंभीरता और कितनी बार ऐसा हुआ है, इस पर निर्भर करेगा।

## 2C अनुबंध की अवधि

2C.1 एक औपचारिक समझौता किया जाएगा, और यह शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा यदि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार आवश्यकता हुई, तो इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा (किंतु एक बार में 01 वर्ष से अधिक नहीं), बशर्ते कि फर्म का कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो।

2C.2 यदि चयनित फर्म द्वारा अनुबंध/समझौते या उसमें निहित किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो PDPM-IIITDM जबलपुर के निदेशक, चयनित फर्म को लिखित रूप में (जितना समय निदेशक, PDPM-IIITDM जबलपुर उचित समझे) एक 'कारण बताओ नोटिस' देने के बाद, अनुबंध की शेष अवधि के लिए अनुबंध को रद्द कर सकते हैं। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, चयनित फर्म की सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

## 2D लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क

2D.1 नाई की दुकान का आवंटन आवेदक के अनुभव, DSA कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण, और आवेदक के साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर किया जाएगा। नाई की दुकान के लिए लाइसेंस शुल्क 2,000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) प्रति माह होगा।

2D.2 चयनित फर्म संस्थान द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के 10 दिनों के भीतर, "PDPM-IIITDM जबलपुर" के पक्ष में (जो जबलपुर में देय हो) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5,000/- रुपये (केवल पाँच हजार रुपये) की सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) जमा करेगी।

2D.3 चयनित फर्म संस्थान में लागू दरों के अनुसार बिजली शुल्क का भुगतान करेगी। वर्तमान में, पानी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हालाँकि, भविष्य में संस्थान में लागू दरों के अनुसार पानी का शुल्क लिया जा सकता है।

## 2E. अनुबंध की समाप्ति

2E.1 यदि चयनित फर्म अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है, तो संस्थान के पास अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, और ऐसी स्थिति में, 5,000/- रुपये (केवल पाँच हजार रुपये) की सुरक्षा जमा राशि, या उसका कोई भी हिस्सा, संस्थान के विवेक पर जुर्माने/दंड के रूप में जब्त कर लिया जाएगा।

2E.2 यदि अनुबंध अवधि के दौरान नाई की दुकान (Barber shop) द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में असंतोषजनक सेवा की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संस्थान द्वारा चयनित फर्म को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। ऐसी समाप्ति के कारण संस्थान को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि (यदि कोई हो) की वसूली लाइसेंसधारी से की जाएगी। इस संबंध में निदेशक, PDPM-IIITDM जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

2E.3 संस्थान के निदेशक, किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।

2F वेतन, कल्याण और भुगतान की शर्तें

2F.1 चुनी गई फर्म केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर लागू सभी श्रम कानूनों का पालन करेगी, जैसे कि चिकित्सा खर्च, दुर्घटना लाभ, कर्मचारी मुआवजा, न्यूनतम वेतन, बोनस, और अन्य कल्याणकारी उपाय, और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताएं।

2F.2 चुनी गई फर्म किसी भी नियम/कानून के उल्लंघन के लिए श्रम विभाग या किसी अन्य विभाग या न्यायालय द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान स्वयं करने के लिए उत्तरदायी होगी।

2F.3 किसी भी बाल श्रमिक को काम पर नहीं रखा जाना चाहिए।

2F.4 तैनात सभी कर्मचारियों को भारत सरकार के नियमों/श्रम कानूनों/न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए।

2F.5 चुनी गई फर्म को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार तैनात सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान करना होगा।

2F.6 ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारी/मालिक (i) नशे में या मदहोश नहीं होने चाहिए (ii) उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए (iii) उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और (iv) वे साफ-सुथरे और स्वच्छ होने चाहिए।

2F.7 कर्मचारी/मालिक परिसर का उपयोग अपने निवास के रूप में नहीं करेंगे। स्वीकृत आधिकारिक समय के बाद परिसर का उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों (जैसे सामान प्राप्त करना, कीटाणुशोधन, इन्वेंट्री आदि) के लिए ही किया जाएगा।

2F.8 काम करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार विनम्र और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए।


दिनांक:

आवेदन फार्म

समिति,

नाई की दुकान

PDPM IITDM जबलपुर



महोदय,

मैं एक नाई की दुकान चलाना चाहता हूँ। कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें। मैंने काम के दायरे और अनुबंध के नियमों व शर्तों को पढ़ लिया है, और यदि मुझे नाई की दुकान का अनुबंध दिया जाता है, तो मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: .....

पिता का नाम: .....

वर्तमान पता: .....

स्थायी पता: .....

Mobile no.: .....

संलग्न:

1.

2.

3.

घोषणापत्र/(UNDERTAKING)

1. मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने PDPM-IIITDM जबलपुर के प्रस्तावित कार्य के सभी नियमों और शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है, और उसके मापदंडों को समझ लिया है, तथा मैं/हम उनका पालन करेंगे।
2. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने “कार्य निष्पादन हेतु मापदंड और तकनीकी विशिष्टियाँ” को समझ लिया है, और मैं/हम कार्य का निष्पादन इन मापदंडों के अनुसार ही करेंगे।
3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा काली-सूचीबद्ध (Blacklisted) नहीं है।
4. मैं/हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस EOI में दी गई जानकारी सभी दृष्टियों से सत्य और सही है, और हम इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

दिनांक: \_\_\_\_\_

(आवेदक के हस्ताक्षर, फर्म की मुहर सहित)

स्थान: \_\_\_\_\_

**जांच सूची**

1. मालिक का नाम:
2. एजेंसी का नाम:
3. समान क्षेत्र में अनुभव का विवरण (एजेंसी से प्राप्त प्रतियों को संलग्न करें)

S.No	Period		Organization	Details of Services
	From	To		

(यदि आवश्यक हो, तो एक अलग शीट संलग्न करें)

4. GST पंजीकरण संख्या (प्रमाण संलग्न करें) (यदि लागू हो):
5. पैन नंबर (प्रमाण संलग्न करें):
6. फर्म/नाई की दुकान का पंजीकरण क्रमांक (प्रमाण संलग्न करें):

**आवेदक के हस्ताक्षर**

**नाई की दुकान की रेट लिस्ट**  
**Timing 08:00AM to 08:00PM**

कार्य	दर सूची
Simple Hair Cutting	50
Stylish Hair Cutting	60
Normal Shaving	30
Foam Shaving	50
Head massage	30
Face massage	50
Others	
(1) Facial normal	100
(2) Facial (Gold / Special)	200